(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 17–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–11–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील बदनाबर जिला धार के प्रकरण कमांक 6/अ–13/2013–14 ।

....

1–इंदरसिंह पिता प्रहलादसिंह
2–गोविन्द पिता प्रहलादसिंह
दोनों निवासी खण्डीगारा तहसील बदनावर
जिला धार

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–जमनाबाई पति स्व0श्री गुलाबसिंह
2–गोपालसिंह पिता स्व0श्री गुलाबसिंह
3–समंदरसिंह पिता स्व0श्री गुलाबसिंह
4–मदनसिंह पिता स्व0गुलाबसिंह
सभी निवासी खण्डीगारा तहसील बदनावर जिला धार

.... अनावेदकगण

....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील बदनाबर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 131, 32 के तहत तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम

खण्डीगारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 137/1, 137/2 किता 2 कुल रकबा 3.342 हैक्टेयर पर कृषि कार्य हेतु उपकरण आदि लाने ले जाने के लिये परम्परागत रास्ता था जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–11–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131, 32 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण में जॉच ना कर विपक्षीगणों द्वारा बतलाया गया मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होने के बावजूद भी पगडण्डी होने का उल्लेख कर रास्ता दिये जाने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को वर्तमान आवेदकगण की भूमि के मध्य से नवीन रास्ता उपलब्ध कराया जा रहा है । वह अनावेदकगण का न तो वहेवटी रास्ता है न ही उनका सुविधा का रास्ता है । यह कहा गया कि साक्ष्य के विपरीत आवेदकगा की भूमि में से अंतरिम रास्ता उपलब्ध कराया गया है, जो अवैधानिक कार्यवाही है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर पाया गया है जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है अतः तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम रूप रास्ता खोले जाने का आदेश दिया है, प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण होना है जहॉ आवेदकगण को पूर्ण अवसर उपलब्ध है कि वे साक्ष्य से

प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकते है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता दिये जाने संबंधी अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता दिया गया है और उनके द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदक को अपने पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील बदनाबर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–11–2014 स्थिर रखा जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण का अंतिम निराकरण तीन माह में करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर